न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 264/2021

अनवान :

1. विक्रमसिंह पुत्र बलवीरसिंह उर्फ बलराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बलवीरसिंह उर्फ बलवीर उर्फ बलराम पुत्र श्री शिशपाल जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा ।
2. राजेशकुमार पुत्र बलराम उर्फ बलवीरसिंह जाति जाट निवासी घेउ हाल त0 भादरा।
3. आर एम जी बी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी मे बलवीर के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं0 1 बलवीर अकेले की बजाय वादी विक्रमसिंह प्रतिवादी सं01 बलवीरसिंह उर्फ बलवीर उर्फ बलराम, प्रतिवादी सं0 2 राजेशकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 264/2021

अनवान :

1. विक्रमसिंह पुत्र बलवीरसिंह उर्फ बलराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बलवीरसिंह उर्फ बलवीर उर्फ बलराम पुत्र श्री शिशपाल जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा ।
2. राजेशकुमार पुत्र बलराम उर्फ बलवीरसिंह जाति जाट निवासी घेउ हाल त0 भादरा।
3. आर एम जी वी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री सरजीत बिजारणियां **: वादी**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 17.05.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में बलवीर के नाम 1/2 हिस्सा, खाता सं0 75/69 के खसरा सं0 178 की 6.956है0, खसरा सं0 235 की 0.493है0 खसरा सं0 245 की 1.062है0 कुल खसरा 3 की 8.511है0 बारानी खातेदारी में से बलवीर के नाम 1/6 हिस्सा, खाता सं. 285/280 के खसरा सं0 558 की 8.081है0, खसरा सं0 566 की 2.504है0, खसरा सं0 743 की 0.607है0, खसरा सं0 745 की 0.228है0 कुल खसरा 4 की 11.420है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बलवीर के नाम से 99 हिस्सा, खाता सं0 42/41 के खसरा सं0 167/1 की 1.062है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बलवीर के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं0 1 के पिता शीशपाल की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बलवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखासमत है।

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है।

साक्ष्यवादी मे पीडब्ल्यू1 विक्रमसिंह के बयान करवाये तथा जमाबंदी रोही मौजा घेउ संवत 2075-78 प्रदर्श 1 ता 3 व जमाबन्दी रोही घेउ संवत 2041 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हको पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद मे वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादी ने घेउ के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि मे जो सत्यप्रतिलिपि जमाबदी पेश की है उनके अनुसार वाद भूमि मे से महज रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा स0 166/1 की 3.667है0, खसरा सं0 771/149 की 0.354है0, खसरा स0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में काशीराम के नाम से जो 1/2 हिस्सा दर्ज है वही बलवीर को अपने पिता शिशपाल से विरासतन में मिलना साबित है इसके अलावा शेष भूमि दादालाई होनी साबित नही है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 166/1 की 3.667है0, खसरा स0 771/149 की 0.354है0, खसरा सं0 773/530 की 7.752है0 कुल खसरा स0 3 की 11.773है0 बारानी खातेदारी में बलवीर के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, उसमे प्रतिवादी स0 1 बलवीर अकेले की बजाय वादी विक्रमसिह प्रतिवादी स01 बलवीरसिह उर्फ बलवीर उर्फ बलराम, प्रतिवादी सं0 2 राजेशकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner